A052-20222023-001-1640211

संख्या-74/2022/953/52-1-2022-02(पी0एम0जे0वी0के0)/2019

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर, 2022

विषय– केन्द्र पुरोनिधानित योजना (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1538/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि0/2022-23, दिनांक 07 जुलाई 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राज्य स्तर पर उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित योजना प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त राज्य स्तर पर दिनांक 31.03.2022 तक उपलब्ध केन्द्रांश की धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को पुनर्विनियोग कर संलग्न प्रपत्र के विवरणानुसार एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

अनुदान संख्या	लेखाशीर्षक	मानक मद	एस0एन0ए0 में अंतरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4
48	**4235-02-800-01-0125-**प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0) योजनान्तर्गत वर्किंग वोमेन हास्टल का निर्माण (के0-60/रा0-40-के0) पूंजीगत	**24-वृहत निर्माण कार्य**	**150.00**

3- अवमुक्त धनराशि का उपभोग निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) जिस मद से धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नहीं की जायेगी।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(6) धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(7) निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकताए एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।

(10) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का होगा।

(11) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण का उत्तरदायित्व होगा।

(12) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(13) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र अथवा अन्य/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(14) निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा सम्भावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।

(15) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(16) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) एस0एन0ए0 में जमा करायी गयी धनराशि के आहरण के पूर्व परियोजनावार (भारत सरकार द्वारा निर्गत केन्द्रांश की धनराशि रिलिजिंग आर्डर की प्रति सहित) शासन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासन की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(18) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित मानक लेखाशीर्षों से वहन किया जायेगा।

(19) केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वित्तीय वर्ष की अवशेष धनराशि के वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय के सम्बन्ध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑफिस मेमोरेन्डम संख्या-I/(33)/PFMS/2022 दिनांक 20 मई, 2022 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक–बी0एम0-09 प्रपत्र

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।

संख्या-953/52-1-2022-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अवर सचिव, अल्पसंख्यवक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
9. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
उप सचिव।